and its overall impact on the export of Indian goods to US; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Import of superior coal

*104. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COAL be pleased to refer to the answer to Unstarred Questions 4278, 5271, and 6242 given in the Rajya Sabha on 25th April, 1994, 2nd May, 1994 and 9th May, 1994 respectively,, and state:

(a) what was the total quantity of 'A' grade coal imported last year;

(b) whether it is possible to manufacture it indigenously; and

(c) if so, what steps Government are taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) The Directorate General of Foreign Trade have reported that they do not maintain grade-wise data on imports of coal. However, total quantity of various type of coal imported in the country during the year 1993-94 is as under:

(Data provisional)

Non-cooking coal—0.57 million tonnes

(including coke

semi coke, etc.)

Coking coal — 6.82 million tonnes

(b) and (c) Production of 'A' grade non-coking coal in the country has been gradually going up. In order to accelerate production of superior grades of non coking coal, including 'A' grade coal, special efforts are being made for increasing underground production by introduction of modern mining technology, mechanisation and improving power supply to the mines.

बाल मजदूरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का निर्यात

*105. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल मजदूरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो बाल मजदूरों द्वारा निर्मित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग की गई है कि भारत तथा अन्य विकासशील देशों के बाल मजदूरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग से सहमत है और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है और क्या सरकार प्रस्तावित उपायों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लागू करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत में औद्योगिक क्षेत्र में जिन उद्योगों में बाल-श्रमिक मुख्य रूप से लगे हुए हैं, वे हैं कालीन-बुनाई रत्नों पर पालिश, पॉटरी, माचिस बनाना, ताला बनाना, तथा पीतल के सामान से संबंधित उद्योग । निर्यात में बाल श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल के अंश के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

इस समय संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस में ऐसे दो विधेयक विचाराधीन हैं जिनमें पूरी तरह या अंशत: बाल-श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल के संयुक्त राज्य अमरीका में आयात पर रोक लगाने की

व्यवस्था की गई है। यूरोपियन कमीशन में एक ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें यह कहा गया है कि जीएसपी लाभों को बाल-श्रमिकों जैसे मुद्दों से जोड़ने का एक रिजोल्यूशन मंजूर किया जाये। सरकार ने इस मामले में यह रुख अपनाया है कि बाल-श्रमिकों की समस्या से निपटने के लिए व्यापारी कार्रवाई कोई प्रभावी तरीका नहीं है तथा गेट में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं है, जिसके अनुसार किसी देश की सामाजिक मुद्दों से संबंधित चिंता को प्रकट करने के लिए या व्यापारी उपायों का सहारा लिया जाये। उक्त प्रस्तावित उपाय अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं और इसलिये उन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत में, 1986 के बाल-श्रमिक, (निषेध और विनियमन) अधिनियम में खतरनाक व्यवसायों में बाल-श्रमिकों को लगाने पर प्रतिबंध है। इस कानून में ऐसा संशोधन करने का विचार है जिससे इसकी व्यवस्थाएं और भी कड़ी हो जाएं।

बंधुआ बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग

*106. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों को श्रमिकों के रूप में काम पर लगाने तथा उन्हें बंधुआ श्रमिक बनाने को रोकने और उनके शोषण को समाप्त करने के लिए कोई मंच बनाया है ;

(ख) क्या सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) बालकों के शोषण और उन्हें बंधुआ बनाने से रोकने तथा श्रमिकों के रूप में उनके नियोजन को रोकने के लिए सरकार के विधायी, प्रशासनिक तथा न्यायिक संघटकों में अनेक मंच उपलब्ध हैं।

समस्या को दूर करने के लिए उपाय करने हेतु विचार-विमर्श करने एवं कानून बनाने के लिए संसद एवं राज्य विधान मंडल एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। बालकों के शोषण को रोकने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अनेक कानून पारित किए गए हैं, जिनमें से कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 और बाल श्रम (प्रतिशेष एव विनियमन) अधिनियम 1986 अधिक महत्वपूर्ण हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 16 में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। श्रम एवं कल्याण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति भी कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने की समीक्षा एवं सिफारिश करती है।

कानूनी उपबन्धों का प्रवर्तन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं। बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के तहत जिला एवं उप-मंडलीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा गठित सतर्कता समितियां जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व होता है, प्रवर्तन एवं पुनर्वास के काम में अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है।

सरकार की कल्याण एवं पुनर्वास योजना मुख्यत: गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं जो शोषण की ओर उन्मुख कामकाजी बालकों की सुरक्षा में और